संख्या-69 /VI-2 /2013-37(यु0क0)2001

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2013

विषयः- राज्य युवा कल्याण परिषद, उत्तराखण्ड हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1442/दो-2363-परिषद/2012-13 दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-160/VI-2/2012-37(यु0का0) 2001 दिनांक 05 जुलाई, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य युवा कल्याण परिषद हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹80.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹53.33 लाख में से ₹10.00 लाख (₹ दस लाख) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3- उक्त धनराशि का आहरण/व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। परिषद को कारपस फण्ड से प्राप्त होने वाली आय की सीमा में ही विभिन्न मदों में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। कापस फण्ड के आय से परिषद के संचालन हेतु शीधातिशीध्र संचालन नियामवली भी प्रख्यापित कर ली जाय।

..2....

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं. 11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–05–युवा कल्याण परिषद को अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–90(NP)/XXVII(3)/2012–13 दिनांक 29 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 69 /VI-2/2013–37(यु0क0)2001 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव